



CNR NO. UPBJ010021372021

JO CODE UP01598

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-08, बिजनौर।

सत्रवाद संख्या 415/2021

सरकार

बनाम

साबू

मुकदमा अपराध संख्या 372/2020

धारा 8/21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट

थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर।

आरोप

मैं, शगुन पंवार, विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-08, बिजनौर आप अभियुक्त **साबू** को निम्न आरोप से आरोपित करती हूँ:-

यह कि दिनांक 14-11-2020 को समय 15:45 बजे, बहदू स्थान रोड़वेज पीपल के पेड़ के नीचे, थाना नूरपुर व जनपद बिजनौर के क्षेत्रान्तर्गत आपको पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ा गया तथा नियमानुसार आपकी जामा तलाशी लेने पर आपकी पहनी पैन्ट की बांयी जेब से 290 प्रतिबंधित नशीली गोलियां जिनके रैपर पर ALPHAZOLAM Tablets I.P. 0.5 mg Becalm 0.5 लिखा है, बरामद हुई, जिनको रखने का आपके पास कोई लाईसेंस नहीं था। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो मादक द्रव्य एवं मनोत्तोजक पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8/21/22 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण उक्त आरोप के लिये इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक: 16-08-2021

(शगुन पंवार)

विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट संख्या-08, बिजनौर।

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। आरोप से अभियुक्त ने इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

दिनांक: 16-08-2021

(शगुन पंवार)

विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट संख्या-08, बिजनौर।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-08, बिजनौर।

सत्रवाद संख्या 415/2021

सरकार

बनाम

साबू

मुकदमा अपराध संख्या 372/2020

धारा 8/21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट

थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर।

दिनांक: 16-08-2021

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त साबू उपस्थित आया।

अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने के बिन्दु पर राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) तथा अभियुक्त के अधिवक्ता को सुना।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) ने धारा 226 दं0प्र0सं0 अपना कथन आरंभ करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का उल्लेख किया। पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का सम्यक विचार करने के उपरान्त मैं इस मत पर पहुंचती हूं कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/21/22 मादक द्रव्य एवं मनोत्तोजक पदार्थ अधिनियम 1985 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का युक्तियुक्त पर्याप्त साक्ष्य प्रथम दृष्टया विद्यमान है। तदनुसार आरोप विरचित किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट संख्या-08, बिजनौर।

अभियुक्त साबू के विरुद्ध धारा 8/21/22 मादक द्रव्य एवं मनोत्तोजक पदार्थ अधिनियम 1985 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया तथा विचारण की मांग की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 13-09-2021 को पेश हो। नियत दिनांक को गवाह तलब हों।

विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट)/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट संख्या-08, बिजनौर।